



Neutral Citation No. – 2026:AHC:174462

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-29137 वर्ष 2026

कपिलदेव यादव

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता:

जनार्दन यादव, शेव राम सिंह

विपक्षीगण के अधिवक्ता:

शा.अधि.

न्यायालय संख्या-55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

1. राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अधि. का कथन है कि निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और जमानत प्रार्थना पत्र गुण-दोष के आधार पर सुने जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अ.शा.अधि. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक वन विभाग में स्टेनो है और यह आरोप है कि आवेदक ने पेड़ों की कटाई की अनुमति हेतु प्रति पेड़ 500/- रुपये की दर से कुल 7500/- रुपये की मांग की थी। बाद में, एक ट्रैप टीम गठित की गई और आवेदक को 7500/- रुपये के साथ पकड़ा गया। यह कथन है कि आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है और अधिकतम सात वर्ष की सजा का प्रावधान है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को पूरक शपथ पत्र के प्रस्तर संख्या 4 में स्पष्ट किया गया है। आवेदक 1.7.2026 से जेल में है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अधि. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया परंतु मामले के तथ्यात्मक पक्ष का विवाद नहीं किया।
5. राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अधि. ने आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त को इंगित किया है। पिछले आपराधिक मामलों में साक्ष्य से छेड़छाड़ या गवाहों को धमकाने के संबंध में इस न्यायालय के संज्ञान में कोई सामग्री या परिस्थिति नहीं लाई गई है। **ऐश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह, (2012) 9 SCC 446** में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तर 30 में यह टिप्पणी की है:-

"हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि अभियुक्त हिस्ट्री-शीटर है तो यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हमने कहा है कि हिस्ट्री-शीटर कभी जमानत का अधिकारी नहीं होता। परंतु, यह एक महत्वपूर्ण कारक है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उस अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए उसे बुक किया गया है।"

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य, 2020 (11) SCC 648** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना स्वयं में जमानत से इनकार का आधार नहीं हो सकता।
7. जहां तक आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त का संबंध है, यह राज्य का मामला नहीं है कि आवेदक अन्वेषण से छेड़छाड़ कर सकता है या अन्यथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, या कि वह विचारण से पहले या उसके दौरान गवाहों को धमका सकता है। राज्य ने ऐसी कोई सामग्री भी प्रस्तुत नहीं की है कि आवेदक ने पूर्व में विधि की प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया हो। यदि अभियुक्त अन्यथा जमानत का पात्र पाया जाता है, तो उसे केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता, आपराधिक पूर्ववृत्त के आधार पर अभियुक्त को जमानत से वंचित करने हेतु कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं दर्शाई गई हैं, इसलिए, न्यायालय केवल इस आधार पर कि उसका आपराधिक पूर्ववृत्त था, आवेदक को जमानत से वंचित करना उचित नहीं समझता।
8. यह सिद्धांत कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, संविधान के अनुच्छेद 21 की कसौटी पर विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा भली-भांति मान्यता प्राप्त है। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो तथा अन्य, 2022 (10) SCC 51** में पुनः दोहराया गया है। विद्वान अ.शा.अधि. ने कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं दर्शाई हैं जो आवेदक को जमानत से वंचित करने का औचित्य सिद्ध करें।
9. राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अधि. द्वारा कोई सामग्री, तथ्य या परिस्थिति नहीं दर्शाई गई है कि अभियुक्त साक्ष्य या गवाहों से छेड़छाड़ कर सकता है या अभियुक्त ऐसे चरित्र का है कि उसकी केवल उपस्थिति मात्र

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गवाहों को धमका सकती है या अभियुक्त अपनी स्वतंत्रता का उपयोग न्याय को कमजोर करने या साक्ष्य से छेड़छाड़ करने में करेगा।

10. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अधि. द्वारा आवेदक के न्याय से भागने या न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने या अपराध दोहराने या गवाहों को धमकाने के रूप में अन्य परेशानियां पैदा करने का सुझाव देने वाली कोई सामग्री विशिष्टताएं या परिस्थितियां नहीं दर्शाई गई हैं।
11. राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अधि. द्वारा कोई सामग्री या परिस्थितियां नहीं दर्शाई गई हैं कि अभियुक्त/आवेदक जनता या राज्य के व्यापक हित में जमानत का पात्र नहीं है।
12. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इस विचार का है कि आवेदक ने जमानत हेतु मामला बनाया है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
13. मुकदमा अपराध संख्या-02 सन् 2026, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 यथासंशोधित अधिनियम, 2018, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ में लिप्त आवेदक **कपिलदेव यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बॉन्ड तथा उतनी ही राशि के दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - i. आवेदक विचारण की अवधि में साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं डालेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- iii. आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो और/या आवेदक स्वयं को पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु उपलब्ध कराएगा जब भी आवश्यक हो।
 - iv. आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है, या जिसकी उस पर संदेह की गई है।
 - v. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित किया जा सके या साक्ष्य से छेड़छाड़ की जा सके।
 - vi. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
 - vii. यदि आवेदक अपना आवासीय पता बदलता है, तो आवेदक संबंधित न्यायालय को लिखित रूप में नए आवासीय पते के बारे में सूचित करेगा।
14. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)

19 अगस्त, 2026

डी. तमांग

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”